न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–14.01.2021

मिशल संख्याः– 179 / 2020

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. नारायणी पत्नि भूरा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
2. सुखदेव पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
3. सुखमन पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
4. सुखी पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
5. सोदान उर्फ सोदानसिंह पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
6. चतुर्भुज पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
7. चन्दा पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
8. नन्दा पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।
9. रामदेवा पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली, जिला टोंक।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र हरजी जाति जाट निवासी बीजवाड तहसील देवली, जिला टोंक।
2. सन्तोक पत्नि हरजी जाति जाट निवासी बीजवाड तहसील देवली, जिला टोंक।
3. हरजी दत्तक पुत्र मुकना जाति जाट निवासी बीजवाड तहसील देवली, जिला टोंक।
4. शाखा प्रबन्धक इंडसइंड बैंक शाखा देवली तहसील देवली, जिला टोंक।
5. शाखा प्रबन्धक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली तहसील देवली, जिला टोंक।
6. तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री आर. एन. तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.29 है0,, खसरा नम्बर 2062 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2058 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली में जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नही है इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.29 है0 वाके

बीजवाड एवं मुख्य गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 2140 रकबा 0.45 है0 के मध्य अप्रार्थी नं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2113 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.20 है0 व अप्रार्थी नम्बर 06 की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2115 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम बीजवाड में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 काबिज काश्त है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 2113, खसरा नम्बर 2114 के उत्तरी दिशा व खसरा नम्बर 2115 राजकीय भूमि में 13 फिट चौडे रास्ते से होकर कदीमी वर्षो से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आते जाते रहे तथा कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र उक्त रास्ते से ही अपनी जोत की भूमि पर आते जाते रहे है। उक्त खसरा नम्बर 2113, खसरा नम्बर 2114, खसरा नम्बर 2115 में प्रार्थीगण रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ है। प्रार्थीगण की भमि मुख्य गै0मु0 रास्ते के मध्य अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 3 व अप्रार्थी नम्बर 06 की राजकीय भूमि मे से प्रार्थीगण को रास्ते दिये जाने पर सबसे कम दूरी पडती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2113, खसरा नम्बर 2114 पर अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है, रास्ते का अवरूद्ध कर दिया तथा खसरा नम्बर 2115 की भूमि राजस्थान सरकार के खाते दर्ज होने व अप्रार्थी नम्बर 6 लेंण्ड होल्डर होने से रास्ते के लिए उपयोग उपभोग मे लेने से रोकते है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 को उक्त रास्ता चाहने बाबत पारस्परिक सहमति से कहा परन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 से 3 सहमत नही हुये तथा अप्रार्थी नम्बर 6 ने कहा की नया रास्ता लेने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे पेश करे। प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 2113, खसरा नम्बर 2114 से नया रास्ता चाहा गया है उक्त भूमि बैंक के रहन होने से बैंक को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.29 है0 भूमि वाके ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली में जिला टोंक पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 2113 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2115 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम बीजवाड में स्थित है, मे से 13 फिट चौडा रास्ता/नया मार्ग वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:—प्रा. पत्र का चरण नं. 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण के खातेदारी के खेतो में जाने के लिए अलग से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रा. पत्र का चरण नं. 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत स्वीकार नहीं है, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 2113, 2114 में किसी भी प्रकार का रास्ता बना हुआ नही है बल्कि प्रार्थीगण ख. नं. 2116 व 2115 की मेड़ जो ख. नं. 2113 व 2114 के अड़वा है में से होकर वर्षो से आते—जाते रहे है। प्रा. पत्र का चरण नं. 3 जिस प्रकार वर्णित किया

गया है, गलत स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण के खेतो में से होकर आते जाते ही नहीं है और मोके पर कोई रास्ता ही नहीं है तो प्रार्थीगण को रोकने व लड़ाई झगडा करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं यह की प्रां0 पत्र का चरण न0 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। यह कि प्रा0 पत्र का चरण न0 5–6–7– कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र मे चाही गयी अधियाचना बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है, प्रा0 पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविकता यह हे कि प्रतिपक्षीगण की खतेदारी के खेत 2113, 2114 व सिवायचक जमीन 2115 मे होकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बना हुआ नही है प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण के खेतो में से आते जाते नहीं रहे है। खसरा नम्बर 2113 मे कुआं बना हुआ है ओर कुऐ से बेलो से पानी निकालने के लिऐ गुनी बनी हुई हे जिससे प्रतिपक्षीगण ने अपनी खातेदारी के खेतो मे आने जाने के लिऐ रास्ते हेतु प्रार्थीगण के विरूध एक प्रा0 पत्र धारा 251–ए–के तहत माननीय न्यायालय मे पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमे प्रार्थीगण की तामील भी हो चुकी है इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 251–ए–से बचने के लिए यह झूठा आवेदन किया अप्रार्थी को जेरबार व परेशान करने के लिऐ पेश किया हे जो मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार देवली की मौका निरीक्षण रिपोर्ट/जवाब पेश की जो इस प्रकार हैः– प्रार्थियों के पहुंच मार्ग के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4 मी0 एवं कुल लम्बाई 156 मी0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 624 वर्ग मी0 है। चाहे जाने वाले रास्ते में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर 336857 रूपये प्रति है0 है जिसकी एक गुना राशि 21022.56 रू0 एवं दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 42045.12 रू0 होगी। आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते में आराजी ख0नं0 2115, 2114, 2113, 2116 में से रास्ते की भूमि को लाल स्याही चिन्हित कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते में आराजी ख0नं0 पर कोई पेड पौधे नही है। ख0नं0 2115 पर 10 फिट लम्बी एवं 5 फिट उंची दिवार है जिसकी अनुमानित कीमत 5000 रूपये है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नही है। उक्त भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः प्रस्तावित नवीन रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस एवं डीएलसी की छायाप्रति , प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मौके पर उपस्थित होने की रिपोर्ट व सूची प्रतिकर सारणी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है।

तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराया हुए कथन किया कि प्रार्थीगण पूर्व में काफी वर्षो से अपनी आराजी भूमि में ख. नं. 2116 व 2115 से आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण ने भी अपनी भूमि में आने जाने हेतु एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गता धारा 251 ए के तहत पेश कर रखा है। इस कारण से प्रार्थीगण ने परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो अस्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है, एक दीवार ख. नं. 2115 पर 10 फीट लम्बी एवं 5 फीट चौड़ी बताई है जिसकी अनुमानित कीमत 5000/—रूपये बताई है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2056 रकबा 0.29 है0,, खसरा नम्बर 2062 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2058 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम बीजवाड तहसील देवली में स्थित है जिसमें कृषि कार्य हेतु जाने के लिए अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने यह रास्ता नहीं देने बाबत कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की चौडाई 4 मी0 एवं कुल लम्बाई 156 मी0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 624 वर्ग मी0 है, जिसकी डीएलसी दर 336857 रूपये प्रति है0 है जिसकी एक गुना राशि 21022.56 रू0 एवं दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 42045.12 रू0 व ख0नं0 2115 पर 10 फिट लम्बी एवं 5 फिट उंची दिवार जिसकी अनुमानित कीमत 5000 रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल. सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अमल दरामद कर, मौके पर नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता तरमीम करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अपनी ऋण राशि शेष बची भूमि के खातेदारान से नियमानुसार प्राप्त करे। बाद पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली